संख्या-1/2020/6253/71-1-2020-जी-182/2017

प्रेषक

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 02 जनवरी, 2020

विषय:- प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों तथा गैर स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की उपलब्धता व उनके वितरण की व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ''चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका (Drug Management Guidelines)'' निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-1/2019/3962, दिनॉक 24-12-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कालेजों तथा गैर स्वायत्तशासी चिकित्सा संस्थानों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में गुणवत्तापरक औषधियों का न्यूनतम दरों पर क्रय, भण्डारण, पारदर्शी वितरण एवं समस्त भर्ती रोगियों के लिए आवश्यक औषधियों की 'राउण्ड-द-क्लाक' उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार ''चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन औषधि प्रबन्धन मार्गदर्शिका (Drug Managment Guideline)'' प्रख्यापित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**1. औषधि का तात्पर्य-**

औषधि से तात्पर्य रोगियों के उपचार में उपयोग होने वाले केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, बायोसिमिलर प्रकार की जेनेरिक औषधियों से है।

**2. औषधियों की सूची -**

आवश्यक औषधियों की सूची (Essential Durgs List/EDL) का तात्पर्य महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा जारी सूची से होगा, जिसे समय-समय पर यथावश्यक संशोधित एवं परिमार्जित किया जायेगा।

**3. औषधियों के क्रय हेतु प्रक्रिया एवं आवंटित बजट का उपयोगः-**

3.1 सम्बन्धित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थानों को आवंटित बजट के 80 प्रतिशत के अन्तर्गत औषधियों की आपूर्ति यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड (UPMSCL) के माध्यम से प्राप्त होगी। शेष 20 प्रतिशत बजट का उपयोग प्रधानाचार्यो/निदेशकों द्वारा आकस्मिक परिस्थितियों तथा वैकल्पिक रिजर्व के रूप में औषधियों का क्रय करने हेतु किया जायेगा। दोनों ही एजेन्सीज के द्वारा क्रय प्रक्रिया सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सुसंगत शासनादेशों, U.P. Procurement Manual (Procurement of Goods), 2016 में निहित प्राविधानो एवं वित्तीय नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी।

3.2 यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गुणवत्तापरक औषधियों के क्रय हेतु निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन आवश्यक होगाः-

3.2.1 निर्माता फर्म को WHO-GMP से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है।

3.2.2 निर्माता फर्म के पास ''ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक रूल्स 1940 यथा संशोधित ''ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स (अमेन्डमेन्ट) रूल्स-2001'' के अन्तर्गत शिड्यूल ''एम'' में वर्णित "Good Manufacturing Practices And Requirements Of Premises, Plant And Equipment For Pharmaceutical Products" एवं भाग-एक-(ए) से (एफ) तक सभी प्रकार की औषधियों का उत्पादन स्वयं करती हो।

3.2.3 जो औषधियॉ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ई0डी0एल0 में सम्मिलित हैं, उनके क्रय हेतु निर्माता कम्पनी का न्यूनतम टर्नओवर वही होगा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में प्रचलित है, इनसे इतर जो औषधियॉ केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग की ई0डी0एल0 में सम्मिलित हैं, उनके क्रय हेतु औषधि निर्माता कम्पनी का विगत तीन वर्षों का वार्षिक टर्नओवर रू0 50 करोड़ प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिये। टर्नओवर के प्रमाण

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के रूप में ऑडिटेड बैलेन्स शीट तथा बैंक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र जो कि बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर बनाया गया हो, स्वीकार होगा।

3.2.4 यू0पी0एम0एस0सी0 की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले उत्पादकों के पास मदों /वस्तुओं के उत्पादन/आयात का वैध लाइसेंस तथा प्रत्येक विनिर्दिष्ट औषधि के उत्पादक/ आयातक के रूप में कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस हेतु साक्ष्य के रूप में वैट एवं जीएसटी का प्रमाण स्वीकार्य होगा।

3.2.5 Biosimilar औषधियों के License esa Post Marketing Survey के लिये निर्धारित की गयी अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त ही उनका क्रय किया जायेगा।

3.2.6 उत्पादक द्वारा आपूर्तित प्रत्येक बैच की औषधियों को चिकित्सा इकाइयों में उपभोगार्थ वितरित करने से पूर्व U.P.M.S.C.L द्वारा एन0ए0बी0एल0 से सत्यापित प्रयोगशाला द्वारा उनकी गुणवत्ता की जॉच करायी जाएगी।

**4. अनुमानित वार्षिक मात्रा सहित सूची तैयार करनाः-**

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों/गैर स्वायत्तशासी संस्थानों में सूची निम्न प्रकार से तैयार की जायेगीः-

4.1 प्रथम चरण में सभी चिकित्सकीय विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग के सभी चिकित्सा शिक्षकों, रेजीडेन्ट डाक्टरों, सिस्टरों तथा फार्मासिस्टों के सहयोग से आवश्यक औषधियों की अनुमानित वार्षिक मात्रा सहित सूची (एक्सेल फार्मेट में) तैयार करते हुए प्रत्येक चिकित्सा शिक्षक के हस्ताक्षर सहित हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी अपने-अपने प्रधानाचार्य/निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

4.2 द्वितीय चरण में सभी चिकित्सकीय विभागों से प्राप्त निश्चित अनुमानित वार्षिक मात्रा की सूचियों को समेकित कर एक सूची प्रधानाचार्य/निदेशक के स्तर पर एक्सेल फार्मेट में तैयार की जायेगी, जिसकी हार्ड कापी पर सभी चिकित्सकीय विभागाध्यक्षों के हस्ताक्षर होंगे। हार्ड कापी एवं साफ्ट कापी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

4.3 तृतीय चरण में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के स्तर पर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों/गैर स्वायत्तशासी संस्थानों से प्राप्त सूचियों के आधार पर आवश्यक औषधियों की वार्षिक मात्रा का परीक्षण करते हुए सूची को निदेशालय स्तर पर अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस प्रकार तैयार की गयी अन्तिम सूची को यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रेषित करते हुए सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक को भी प्रेषित की जायेगी।

4.4 उक्त प्रक्रिया हेतु निम्न समय-सारिणी निर्धारित की जाती हैः-

| वर्ष | प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 31 दिसंबर 2019 | 05 जनवरी, 2019 | 15 जनवरी, 2020 |
| 2020-21 | 31 जुलाई 2020 | 15 अगस्त, 2020 | 30 सितम्बर 2020 |

4.5 चूंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अतएव वर्ष 2020-21 में U.P.M.S.C.L द्वारा से माह जुलाई, 2020 से मार्च, 2021 तक 09 माह के लिए आपूर्ति ली जायेगी। वर्ष 2021-22 से U.P.M.S.C.L द्वारा वर्ष पर्यन्त के लिए आपूर्ति की जायेगी।

**5. आपूर्ति प्रक्रियाः-**

5.1 अनुमोदित विस्तृत अनुमानित वार्षिक मात्रा सहित सूची में अंकित सभी औषधियों के क्रय हेतु यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया जायेगा। जो प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा निर्गत आपूर्ति आदेश माँगी गयी सभी औषधियों की वाँछित मात्रा की समयान्तर्गत सीधे आपूर्ति करेंगे।

5.2 यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड के साफ्टवेयर को उ0प्र0 में लागू NIC के ई-फार्मेसी साफ्टवेयर से लिंक कराया जायेगा।

5.3 U.P.M.S.C.L द्वारा संबंधित मेडिकल कालेज को औषधियों की आपूर्ति निकटवर्ती भण्डारण डिपो से सुनिश्चित की जायेगी।

**6. भर्ती रोगियों को राउण्ड-द-क्लाक औषधियाँ उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्थाः-**

6.1 औषधि के भण्डारण की समुचित व्यवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार विभिन्न वार्डों, आकस्मिक विभाग, आपरेशन थिएटर आदि में औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धित प्रधानाचार्य/निदेशक का दायित्व होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

6.2 प्रत्येक वार्ड अथवा अन्य फैसिलिटी का इण्डेन्ट (मांगपत्र) वार्ड की भण्डारण क्षमता तथा औषधि की खपत को दृष्टिगत रखते हुए मासिक आवश्यकता का आंकलन कर चिकित्सकीय विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्य/निदेशक को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रधानाचार्य/निदेशक सभी विभागों के मांगपत्रों को समेकित कर उसके सापेक्ष यू0पी0 मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड से समन्वय कर केन्द्रीय भण्डार से अथवा निगम के जिला स्तरीय भण्डार से औषधियाँ मँगाएंगे और विभिन्न वार्डों को उनके द्वारा पूर्व में दिये गये माँगपत्र के अनुसार औषधियों को स्टाक ट्रान्सफर के रूप में दे देंगे। औषधियों को ससमय उपलब्ध कराने का दायित्व निगम का होगा। इन्डेन्ट के अनुसार निगम से औषधि उपलब्ध न होने पर प्रधानाचार्य द्वारा वैकल्पिक रिजर्व के तहत क्रय की गई औषधियॉ उपयोग में लायी जायेंगी।

6.3 प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा औषधि निर्माता फर्म द्वारा आपूर्ति में लगने वाले समय तथा खपत की गति के आधार पर प्रत्येक औषधि का ''री-आर्डर लेवल'' विभागाध्यक्षों के सहयोग से निर्धारित किया जायेगा। केन्द्रीय भण्डार में किसी औषधि की मात्रा उपभोग के कारण घटकर ''री आर्डर लेवेल'' पर पहुंचने पर उसका ''रिपीट आर्डर'' निर्गत किया जायेगा। इस निमित्त प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा निगम से निरन्तर समन्वय रखा जायेगा तथा समयानुसार औषधि उपलब्ध कराने का दायित्व निगम का होगा।

6.4 प्रत्येक वार्ड की सिस्टर इन्चार्ज उस वार्ड की शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ नर्सों के सहयोग से प्रत्येक औषधियों की खपत को रोगीवार दर्ज करने के लिये Stock Register तथा Consumption Register बनायेंगी जिसका रेन्डम सत्यापन चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा किया जायेगा।

6.5 रोगियों को औषधियों की उपलब्धता राउण्ड-द-क्लाक सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वार्ड में यथा आवश्यक 1-2 दिन की मात्रा एक आलमारी में रखी जायेगी, जिसका चार्ज शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ नर्स के पास रहेगा, जो कि शिफ्ट बदलने पर चार्ज हैण्डओवर करेगी। चार्ज हैण्डओवर-टेकिंगओवर का रजिस्टर उसी अलमारी में रखा जायेगा जिसे अगले दिन सिस्टर इन्चार्ज द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा और रोगीवार उपभोग की पुष्टि की जायेगी तथा उपभोग की जा चुकी औषधियों की मात्रा को पूरा करते हुए उस अलमारी में पुनः रखी जायेगी।

6.6 केन्द्रीय भण्डार से अगले इण्डेन्ट की औषधियों को प्राप्त करते समय अधिसूचित औषधियों की खाली शीशी/पैकिंग वापस जमा करना सिस्टर इन्चार्ज का दायित्व होगा। वार्ड में सिस्टर इचार्ज के क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण का दायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

6.7 केन्द्रीय औषधि भण्डार में उपलब्ध औषधियों की मात्रा सहित सूची प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा चिकित्सकीय विभागाध्यक्ष के माध्यम से सभी चिकित्सा शिक्षकों एवं सिस्टर इन्चार्जों को उपलब्ध करा दी जायेगी और साथ ही विभागाध्यक्षों तथा चिकित्सा शिक्षको व रेजीडेन्ट चिकित्सको द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सूची में उल्लिखित औषधियों को भिन्न नाम से कोई माँग पत्र अथवा स्थानीय क्रय का अनुरोध पत्र कदापि प्रस्तुत न किया जाय और न ही बाजार से दवाएं मंगाई जाये।

6.8 प्रत्येक वार्ड में एक आकस्मिक स्थानीय क्रय माँग पंजिका ¼Emergency Local Purchase Indent Book½ रखी जायेगी जिस पर आन ड्यूटी रेजीडेन्ट डाक्टर तथा आन ड्यूटी स्टाफ नर्स/सिस्टर के हस्ताक्षर तथा अपरिहार्यता प्रमाणित करने के उपरान्त इमरजेन्सी मेडिकल आफीसर के अनुमोदनोपरान्त वह औषधि वित्तीय नियमों के अनुसार निर्धारित औषधि विक्रय केन्द्र से मँगवाकर, दवा प्राप्त करने का स्पष्ट अँकन एवं हस्ताक्षर रोगी के रिश्तेदार से लोकल पर्चेज़ (एल0पी0) इण्डेन्ट बुक पर करवाया जायेगा। आकस्मिक एल0पी0 इण्डेन्ट बुक का प्रतिहस्ताक्षरण अगले दिन सम्बन्धित सिस्टर इन्चार्ज, सम्बन्धित वरिष्ठ चिकित्सक तथा सम्बन्धित चिकित्सीय विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रकार के आकस्मिक स्थानीय क्रय में किसी भिन्न नाम से ऐसी दवा का क्रय नहीं किया जाय जो केन्द्रीय भण्डार अथवा वार्ड भण्डार में उपलब्ध है।

6.9 अनुमोदित सूची की सभी औषधियों की उपलब्धता मेडिकल कालेज/संस्थान परिसर में स्थापित सरकारी दवा विक्रय केन्द्रों में भी बनाये रखने का निर्देश दिया जायेगा ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में अनुमोदित सूची की औषधियों का ही स्थानीय क्रय किया जाय, परन्तु इस निमित्त भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत् शासनादेशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6.10 प्रत्येक विभाग में प्रत्येक वार्ड का एक-एक चिकित्सा शिक्षक प्रभारी बनाया जाएगा जो उस वार्ड की सम्पूर्ण औषधि व्यवस्था के लिए व्यक्तिगत् रूप से उत्तरदायी होगा। प्रत्येक वार्ड में रोगियों के लिए राउण्ड-द-क्लाक प्रत्येक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित सिस्टर इन्चार्ज तथा शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ नर्स का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. **अन्य बिन्दुः-**

7.1 आपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी औषधियों में केवल वे ही औषधियाँ स्वीकार की जायेंगी, जिनकी शेल्फ लाइफ 75 प्रतिषत शेष हो। इस हेतु चालान-प्राप्तकर्ता फार्मासिस्ट किसी प्रकार की अनियमितता/उल्लंघन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

7.2 अनुमानित वार्षिक खपत के 10 प्रतिशत से अधिक औषधि क्रय करने वाले प्रधानाचार्य/निदेशक द्वारा औचित्य के साथ महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अनुमति लेकर क्रय की जा सकती हैं। इससे अधिक क्रय की स्थिति में शासन/शासी निकाय का अनुमोदन यथास्थिति प्राप्त करना आवश्यक होगा। औषधि क्रय प्रक्रिया में विचलन करने वाले प्रधानाचार्य/निदेशक अधिक क्रय हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7.3 प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने विभाग द्वारा दी गयी अनुमानित वार्षिक खपत की सूची के सापेक्ष क्रय की गयी औषधियों का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7.4 (क) इस योजना की सफलता के लिये समस्त क्रय, आपूर्ति, भण्डारण एवं वितरण व्यवस्था को ई-हास्पिटल योजना की ई-फार्मेसी के अधीन कम्प्यूटरीकृत भी किया जायेगा, जिससे उसका पर्यवेक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।

(ख) सभी मेडिकल कालेजों/संस्थानों में औषधियों की उपलब्धता एवं उपभोग ¼Consumption½ का साप्ताहिक पर्यवेक्षण ई-फार्मेसी साफ्टवेयर के माध्यम से प्रधानाचार्य/निदेशक तथा महानिदेशालय स्तर से नियमित रूप से किया जायेगा।

7.5 प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय में औषधि प्रबन्धन हेतु प्रधानाचार्य/निदेशक की अध्यक्षता में एक औषधि प्रकोष्ठ ¼Cell½ गठित किया जाये, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, फार्मेसी विभाग की फैकल्टी का 01 सदस्य, प्रधान फार्मासिस्ट व क्रय प्रभारी के अतिरिक्त 02 कर्मठ एवं योग्य फैकल्टी सदस्य नामित किये जायें। औषधि प्रकोष्ठ ¼Cell½ द्वारा अभिलेखीय निरीक्षण व बैठकों के माध्यम से समीक्षा के अतिरिक्त भण्डार तथा वार्ड स्तरीय सत्यापन भी किया जाये।

3- उपर्युक्त मार्गदर्शिका द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देशों का प्रतिपालन सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों/गैर स्वायत्तशासी संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। मार्गदर्शिका के सिद्धान्तों को सोसाइटी के द्वारा संचालित नवस्थापित स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों को अपने बायलॉज में अंगीकृत करने की स्वतंत्रता होगी।

भवदीय

( डॉ0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:- 1/2020/6253(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर एवं हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
8- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
10- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( एस0 पी0 सिंह )
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।